

प्रेषक,

अरुण प्रकाश,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

आजमगढ, बलिया, अयोध्या, महाराजगंज, अम्बेडकर नगर, चन्दौली, औरैया,
मैनपुरी, प्रतापगढ, बलरामपुर, उन्नाव, महोबा एवं कानपुर देहात ।

राजस्व अनुभाग10-

लखनऊ: दिनांक:11-10-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं 0-303/1-11-2016- 4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी-तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, अधिसूचना सं0-393/1-11-2018-4(जी)/2016, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव मानव वन्य जीव द्वन्द्व एवं अधिसूचना सं0-387/एक11-2021-4-(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा सं0-586/एक-11-2022-4(जी)/2015, दिनांक 13.10.2022 द्वारा सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ₹0 10,30,00,000.00 (₹0 दस करोड़ तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र० सं०	जनपद	आपदा का प्रकार/मद	स्वीकृत धनराशि (₹0 में)

1	2	3	4
1	आजमगढ	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	70,00,000.00
2	बलिया	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	90,00,000.00
3	अयोध्या	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	50,00,000.00
4	महराजगंज	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	1,00,00,000.00
5	अम्बेडकर नगर	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	75,00,000.00
6	चन्दौली	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	1,00,00,000.00
7	औरैया	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	50,00,000.00
8	मैनपुरी	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	20,00,000.00
9	प्रतापगढ	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	80,00,000.00
10	बलरामपुर	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	75,00,000.00
11	उन्नाव	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	1,00,00,000.00
12	महोबा	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	1,00,00,000.00
13	कानपुर देहात	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09)	1,20,00,000.00
कुल योग			10,30,00,000.00
(रु० दस करोड़ तीस लाख मात्र)			

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- (3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1 दिनांक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन

सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने से पहले उनकी पात्रता का परीक्षण सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये, आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि के प्रयोग/उपभोग/समर्पण/वितरण के सम्बन्ध में जारी सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मंदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रु0 10,30,00,000.00 (रु0 दस करोड़ तीस लाख मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखाशीर्षक- 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 11-10-2026 15:07:36

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या-1209(1)/एक10-2026- तदिदनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।

- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-11/10/2026

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

28
001-1209
51 राजस्व विभाग (द्वैवि विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनस्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्तर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्तर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्तर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	2000000 17300000	2000000 17300000
2	बलिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	9000000 49612000	9000000 49612000
3	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	7000000 49303000	7000000 49303000
4	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	10000000 60261000	10000000 60261000
5	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 46822000	5000000 46822000
6	प्रतापगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	8000000 66655000	8000000 66655000
7	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	12000000 53258000	12000000 53258000
8	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	10000000 39018000	10000000 39018000
9	महोबा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	10000000 51986000	10000000 51986000
10	अम्बेडकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	7500000 42464000	7500000 42464000
11	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	10000000 53512000	10000000 53512000
12	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	7500000 34120000	7500000 34120000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
13	अरैया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 21824000	5000000 21824000
	योग	वर्तमान प्रगामी	103000000 586135000	103000000 586135000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया दस करोड़ तीस लाख
रूपया अट्ठान करोड़ इकसठ लाख पैतीस हजार

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

